



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252480
CG-DL-E-29022024-252480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

No. 50]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 28 फरवरी, 2024

सं. 45/2023

विषय: स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स/पाइप्स (कोल्ड फिनिश) के निर्यात के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) सी-831 में संशोधन।

फा. सं. 01/81/162/00002/एम22/डीईएस-II.—समय समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स/ट्यूब्स (कोल्ड फिनिश) के निर्यात के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) सी-831 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

क्रम संख्या	निर्यात मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा
1	स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स/पाइप्स (कोल्ड फिनिश)	1 मी.ट.	सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स/पाइप्स (हॉट फिनिश)	1.10 मी.ट.

टिप्पणी:

1. आयातित सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप्स/ट्यूब्स हॉट- फिनिशड/मदर हॉलो जिसका बाहरी व्यास (ओडी) 65 एमएम से कम न हो और अधिक हो।
 2. निर्यातकों को निविष्टि के रूप में आयात किए जाने वाले पाइपों का एक विशिष्ट ग्रेड प्रदान करना होगा और ऐसा ग्रेड निर्यात पाइप्स/ट्यूब्स के ग्रेड के अनुरूप होना चाहिए।
 3. कोल्ड-फिनिशड पाइप्स/ट्यूब्स का प्रति मीटर निर्यात वजन निर्यात के लिए कोल्ड- फिनिश पाइप्स/ट्यूब्स का उत्पादन करने के लिए निविष्टि के रूप में आयातित हॉट- फिनिशड/मदर हॉलो के प्रति मीटर वजन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
 4. शुल्क-मुक्त लाइसेंस जारी करते समय पूर्व-आयात शर्त अनिवार्य होगी।
2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** सी-831 के अन्तर्गत आने वाले मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) को उपरोक्तानुसार तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 28th February, 2024

No. 45/2023**Subject: Amendments in Standard Input Output Norms (SION) C-831 for export of Stainless Steel Seamless Tubes/ Pipes (Cold Finished)**

F. No. -01/81/162/00002/AM22/DES-II.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in Standard Input Output Norms (SION) C-831 for export of Stainless Steel Seamless Pipes/ Tubes (Cold Finish):

Sl. No.	Export Item	Quantity	Item of import	Quantity
1	Stainless Steel Seamless Tubes/Pipes (Cold Finish)	1 MT	Seamless Stainless-Steel Tubes/Pipes (Hot Finished)	1.10 MT

Note:

1. The imported seamless stainless-steel pipe/tubes shall be hot-finished/ mother hollow having an outside diameter (OD) not less than 65mm and above.
2. Exporters have to provide a specific grade of pipes to be imported as input and such grade must correspond with the grade of export pipes/tubes.
3. The export weight per meter of cold-finished pipes/tubes shall not exceed 50% of the weight per meter of imported hot-finished / mother hollow consumed as an input to produce the cold finish pipe/tube for export.
4. Pre-Import condition shall be mandatory while issuing the duty-free licenses.

2. Effect of this Public Notice:

Standard Input Output Norms (SION) appearing under C-831 is amended as above with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.